अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवास (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007

जनजातीय कार्य मंत्रालय अधिसूना क्र. सा. का. नि. 1 (अ) दिनांक 1 जनवरी, 2008, भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3(i) दिनांक 1-1-2008 पृष्ठ 1-10 पर प्रकाशित।

केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 14 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन में निवास करने वाले अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों और वन भूमि पर अधिभोग को मान्यता देने और उनमें निहित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षित नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 है।

(2) इनका विस्तार, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, सम्पूर्ण भारत पर होगा।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

नोट: यह नियम राजपत्र में 1-1-08 को प्रकाशित हुए हैं।

2. परिभाषाएँ- (1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो; -

(क) ''अधिनियम'' से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) अभिप्रेत है;

[1](ख) ''जीविका की वास्तिविक आवश्यकताओं'' से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारों के किसी प्रयोग के माध्यम से स्वयं और कुटुम्ब की जीविका की आवश्यकताओं को पूरा करना अभिप्रेत है तथा जिसके अंतर्गत ऐसे अधिकारों के प्रयोग से उद्भूत अधिशेष उत्पाद का विक्रय भी है; ''

(ग) ''दावेदार'' से ऐसा व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कुटुंब या समुदाय अभिप्रेत है जो अधिनियम में सूचीबद्ध अधिकारों की मान्यता और उनके निहित होने के लिए दावा करता है;

[2](गक) ''सामुदायिक अधिकार'' से वे अधिकार अभिप्रेत हैं, जो धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (ज), खंड (झ), खण्ड (ञ), खंड (ट) और खंड (ठ) में सूचीबद्ध हैं;

[3](घ) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन ''गौण वन उत्पाद के निपटान'' में विक्रय के अधिकार के अन्तर्गत व्यष्टिक या सामूहिक प्रसंकरण, मूल्य परिवर्धन, ऐसे उत्पाद के उपयोग के लिए परिवहन के समुचित साधनों के माध्यम से वन क्षेत्र के भीतर और बाहर परिवहन या जीविका के लिए जनसमूह या उनकी सहकारिताओं, संगमों या परिसंघों द्वारा विक्रय भी है।;

---

1. अधिसूचना क्र.स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार अंत:स्थापित एवं प्रवृत्त।
2. अधिसूचना क्र.स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार अंत:स्थापित एवं प्रवृत्त।
3. अधिसूचना क्र.स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार अंत:स्थापित एवं प्रवृत्त।

स्पष्टीकरण - (1) गौण वन उत्पादन के परिवहन के संबंध में, परमिट प्रणाली उपांतरित होगी और नियम 4 के उपनियम (1) के खंड (ङ) के अधीन गठित समिति द्वारा या ग्राम सभा द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिए जाएंगे।

(2) परिवहन परमिटों की अपेक्षा की यह प्रक्रिया निपटान के अधिकार को किसी भी प्रकार से निबंधित या न्यून नहीं करेगी।

(3) गौण वन उत्पादों का संग्रहण सभी रायल्टी या फीस या अन्य प्रभारों से मुक्त होगी।

(ङ) ''वन अधिकार समिति'' से नियम 3 के अधीन ग्राम सभा द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है;

(च) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

[1]"2क. पुरवों या बंदोबस्तों की पहचान और उनके समेकन की प्रक्रिया.- राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि, -

(क) प्रत्येक पंचायत, उसकी सीमाओं के भीतर पुरवों के समूह या आवास, गैर लेखबद्ध या सर्वेक्षण नहीं किए गए बंदोबस्तों या वन ग्राम या जंगल स्थित ग्राम, जो औपचारिक रूप से किसी राजस्व या वन ग्राम अभिलेख का भाग नहीं है, की सूची तैयार करती है और पंचायत के संकल्प के माध्यम से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ग्रामों के रूप सम्मिलित प्रत्येक ऐसे आवास, पुरवों या आवास, पुरवों या आवासों की संयोजित ग्राम सभा द्वारा इस सूची को पारित कराएगी और ऐसी सूची को उपखंड स्तर की समिति को भेजेगी;

(ख) उपखंड स्तर समिति के उपखंड अधिकारी उन पुरवों और आवासों की सूचियों को समेकित करते हैं जो वर्तमान में किसी ग्राम के भाग नहीं हैं किन्तु किसी संकल्प के माध्यम से पंचायत के भीतर ग्रामों के रूप में सम्मिलित किए गए हैं, और या तो विद्यमान ग्राम में ग्राम के रूप में जोड़कर या अन्यथा सुसंगत राज्य विधियों में यथा उपबंधित प्रक्रिया के अनुसारण के पश्चात् ग्राम के रूप में औपचारिक रूप दे दिया गया है और जनता की टीका-टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् ऐसी सूचियों को उपखंड स्तर समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया है, यदि कोई है;

(ग) लघु ग्रामों और आवासों की सूचियों को अंतिम रूप देने पर इन लघु ग्रामों और आवासों में मान्यता और अधिकारों के निहित होने की प्रक्रिया पहले से मान्यताप्राप्त किन्हीं अधिकारों में व्यवधान डाले बिना की जाती है; "।

3. ग्राम सभा - (1) पंचायत द्वारा ग्राम सभाओं का संयोजन किया जाएगा और उसके पहले अधिवेशन में वह अपने सदस्यों में से कम से कम दस बिन्तु पंद्रह से अनधिक व्यक्तियों को वन अधिकार समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित करेगी जिसमें कम से कम [2]दो-तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे:

परन्तु ऐसे सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएँ होंगी:

परन्तु यह और कि जहाँ कोई अनुसूचित जनजातियाँ नहीं हैं वहाँ ऐसे सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएँ होंगी।

---

1. अधिसूचना क्र.स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार अंत:स्थापित एवं प्रवृत्त।
2. अधिसूचना क्र.स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार अंत:स्थापित एवं प्रवृत्त।

(2) वन अधिकार समिति अध्यक्ष और सचिव का विनिश्चय करेगी और उसकी सूचना उपखण्ड स्तर की समिति को देगी।

(3) वन अधिकार समिति को काई सदस्य व्यष्टिक वन अधिकार का दावेदार भी है तब वह उसकी सूचना समिति को देगा और जब उसके दावे पर विचार किया जाएगा तब वह सत्यापन कार्यवाहियों में भाग नहीं लेगा।

[1]"(4) वन अधिकार समिति अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवास (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम, 2012 के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व, पहले से मान्यता प्राप्त वन अधिकारों या पहले से संस्थित दावों के सत्यापन की प्रक्रिया पर नए सिरे से विचार नहीं करेगी।"

4. ग्राम सभा के कृत्य - (1) ग्राम सभा -

(क) वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा का अवधारण करने के लिए कार्यवाही आरम्भ करेगी और उससे सम्बन्धित दावों की सुनवाई करेगी;

(ख) वन अधिकारों के दावेदारों की सूची तैयार करेगी और दावेदारों और उनके दावों के ऐसे ब्यौरो का एक रजिस्टर रखेगी जो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे;

(ग) वन अधिकारों के सम्बन्ध में दावों पर संकल्प, हितबद्ध व्यक्तियों और सम्बन्धित प्राधिकारियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पारित करेगी और उन्हें उपखण्ड स्तर की समिति को भेज देगी;

(घ) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) के अधीन पुनव्यवस्थापन पैकेजों पर विचार करेगी; और

(ङ) अधिनियम की धारा 5 के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए वन्यजीव, और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपने सदस्यों में से समितियों का गठन करेगी।

[2](च) खंड ङ के अधीन गठित समिति जो कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वननिवासियों के लाभ के लिए ऐसे सामुदायिक वन संसाधनों को सम्पूर्ण प्रबंध करने के लिए सामुदायिक वन संसाधनों के परिरक्षण और प्रबंध योजना तैयार करेगी, की मानीटरी और नियंत्रण करना और ऐसी परिरक्षण और प्रबंध योजना को वन विभाग की सूक्ष्य योजनाओं का कार्य योजनाओं से ऐसे उपांतरणों जैसा की समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए के साथ एकीकृत करना।

(छ) परिवहन परमिट, उत्पादों के विक्रय से आय का उपयोग या प्रबंध योजना का उपांतरण से संबंधित समिति के सभी विनिश्चयों का अनुमोदन करेगी।

[3]"(2) ग्राम सभा के अधिवेशन में गणपूर्ति ऐसी ग्राम सभा के सभी सदस्यों के आधे से अन्यून सदस्यों द्वारा होगी:

परन्तु उपस्थित सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई स्त्रियाँ होंगीः

परन्तु यह और कि जहाँ वन अधिकारों के दावों के संबंध में कोई संकल्प पारित किया जाना है, वन अधिकारों के दावेदारों या उनके प्रतिनिधियों के पचास प्रतिशत उपस्थित होंगे।

परन्तु यह और भी कि ऐसे संकल्प उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित होंगे।"

---

1. अधिसूचना क्र.स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार अंतःस्थापित एवं प्रवृत्त।
2. अधिसूचना क्र.स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार अंतःस्थापित एवं प्रवृत्त।
3. अधिसूचना क्र.स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार अंतःस्थापित एवं प्रवृत्त।

(3) ग्राम के सभी राज्य के प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

5. उपखण्ड स्तर की समिति - राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ उपखण्ड स्तर की समिति का गठन करेगी, अर्थात्-

(क) उपखण्ड अधिकारी या समतुल्य अधिकरी - अध्यक्ष

(ख) उपखण्ड का भारसाधक वन अधिकारी या समतुल्य अधिकारी - सदस्य

(ग) ब्लॉक या तहसील स्तर की पंचयतों के तीन सदस्य जिन्हें जिला पंचायत द्वारा नामनिदेशित किया जाएगा जिनमें से कम से कम दो अनुसूचित जनजातियों के होंगे जो अधिमानतः ऐसे सदस्य होंगे जो वन निवासी हैं या जो आदि जनजातिय समूहों के हैं और जहाँ कोई अनुसूचित जनजातियाँ नहीं हैं वहाँ ऐसे दो सदस्य जो अधिमानतः अन्य परंपरागत वन निवासी हैं और एक महिला सदस्य होगी, या संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली क्षेत्रों में तीन सदस्य स्वशासी जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् या अन्य समुचित जोनल स्तर की परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे जिनमें से कम से कम एक महिला सदस्य होगी, और

(घ) जनजातीय कल्याण विभाग का उपखण्ड का भारसाधक अधिकारी या जहाँ ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहाँ जनजातीय कार्य का भारसाधक अधिकारी।

6. उपखण्ड स्तर की समिति के कृत्य - उपखण्ड स्तर की समिति-

(क) प्रत्येक ग्राम सभा को नाजुक पेड़ पौधे और जीव जन्तु के सन्दर्भ में, जिन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है, वन्यजीव, वन ओर जैवविविधिता के संरक्षण के सम्बन्ध में उनके

कर्तव्यों और वन अधिकारों के धारण के कर्तव्यों तथा अन्य के कर्तव्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी;

(ख) ग्राम सभा और वन अधिकार समिति को वन और राजस्व मानचित्र और मतदाता सूची उपलब्ध कराएगी;

(ग) सम्बद्ध ग्राम सभाओं के सभी संकल्पों को एक साथ मिलाएगी;

(घ) ग्राम सभाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्रों और ब्यौरों को समेकित करेगी;

(ङ) दावों की सच्चाई को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं के संकल्पों और मानचित्रों की परीक्षा करेगी;

(च) किन्हीं वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा के सम्बन्ध में ग्राम सभाओं के बीच विवादों की सुनवाई करेगी और उनका न्यायनिर्णयन करेगी;

(छ) ग्राम सभाओं के संकल्पों से व्यथित व्यक्तियों, जिनके अन्तर्गत राज्य अभिकरण भी हैं, अर्जियों की सुनवाई करेगी;

(ज) अतः उपखण्ड के दावों के लिए उपखण्ड स्तर की समितियों के साथ समन्वय करेगी;

(झ) सरकारी अभिलेखों में सामंजस्य करने के पश्चात् प्रभावित वन अधिकारों के ब्लॉक या तहसील वार प्ररूप अभिलेख तैयार करेगी;

(ञ) प्रस्तावित वन अधिकारों के प्रारूप अभिलेख के साथ दावों को उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से जिला स्तर की समिति को अन्तिम विश्चिय के लिये अग्रेषित करेगी;

(ट) वन निवासियों में अधिनियम के अधीन और नियमों में अधिकथित उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करेगी;

[1]"(ठ) दावेदारों को दावों के इन नियमों के उपाबंध-1 (प्ररूप क, ख और ग) में यथाउपबंधित प्रोफार्मा की आसानी से और निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करेगी"।

(ड) यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम सभा के अधिवेशन अपेक्षित गणपूर्ति के साथ मुक्त, खुली और निष्पक्ष रीति से किए जाते हैं।

7. जिला स्तर की समिति - राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ जिला स्तर की समिति का गठन करेगी, अर्थात्-

(क) जिला कलेक्टर या उपायुक्त - अध्यक्ष

(ख) संबद्ध खण्ड वन अधिकारी या सम्बद्ध उप वन संरक्षक - सदस्य

(ग) जिला स्तर की पंचायत के तीन सदस्य जिन्हें जिला पंचायत द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा जिनमें से कम से कम दो अनुसूचित जनजातियों के होंगे जो अधिमानतः ऐसे सदस्य होंगे जो वन निवासी हैं या जो आदिम जनजातीय समूहों के हैं और जहाँ कोई अनुसूचित जनजातियाँ नहीं हैं वहाँ ऐसे दो सदस्य जो अधिमानतः अन्य परम्परागत वन निवासी हैं और एक महिला सदस्य होगी; या संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में तीन स्वशासी जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् या समुचित जोनल स्तर की परिषद् द्वारा मामनिर्देशित किए जाएंगे जिनमें से कम से कम एक महिला सदस्य होगी; और

(घ) जनजातीय कल्याण विभाग का जिले का भारसाधक अधिकारी या जहाँ ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहाँ जनजातीय कार्य का भारसाधक अधिकारी।

8. जिला स्तर की समिति के कृत्य - जिला स्तर की समिति-

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि नियम 6 के खण्ड (ख) के अधीन अपेक्षित जानकारी ग्राम सभा या वन अधिकारी समिति को उपलब्ध करा दी गई है:

(ख) इस बारे में परीक्षा करेगी कि क्या सभी दावों, विशेषकर आदिम जनजाति समूहों, पशु चारकों और यायावर जनजातियों के सभी दावों का अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समाधान कर दिया गया है;

(ग) उपखण्ड स्तर की समिति द्वारा तैयार किए गए वन अधिकारों के दावों और अभिलेख पर विचार करेगी और अन्तिम रूप से उनका अनुमोदन करेगी;

(घ) उपखण्ड स्तर की समिति के आदेशों से व्यथित व्यक्तियों से अर्जियों की सुनवाई करेगी;

(ङ) अंतः जिला दावों के सम्बन्ध में अन्य जिलों के साथ समन्वय करेगी;

(च) सुसंगत सरकारी अभिलेखों, जिनके अन्तर्गत अधिकारों का अभिलेख भी है, में वन अधिकारों के समावेशन के लिए निर्देश जारी करेगी;

(छ) जैसे ही अभिलेख को अन्तिम रूप दे दिया जाए, वन अधिकारों के अभिलेख का प्रकाशन सुनिश्चित करेगी;[2]

(ज) यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के अधीन और इन नियमों के उपाबन्ध 2 और 3 में यथाविनिर्दिष्ट वन अधिकारों और हक के अभिलेख की अधिप्रकाणित प्रति संबद्ध दावेदार और सम्बन्धित ग्राम सभा को दे दी है और[3]

---

1. अधिसूचना क्र.स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार अंत:स्थापित एवं प्रवृत्त।
2. अधिसूचना क्र.स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार विलुप्त।
3. अधिसूचना क्र.स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार अंत:स्थापित।

[1]"(झ) यह सुनिश्चित करना कि इन नियमों के उपाबंध-4 में यथाविनिर्दिष्ट, अधिनियम के अधीन सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों और क के अभिलेख की एक प्रमाणित प्रति संबंधित ग्राम सभा समुदाय, जिनके सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकारों को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन मान्यता दी गई है, को प्रदान की गई है।"

9. राज्य स्तर की निगरानी समिति - राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ राज्य स्तर की निगरानी समिति का गठन करेगी, अर्थात्-

(क) मुख्य सचिव - अध्यक्ष;

(ख) सचिव, राजस्व विभाग - सदस्य;

(ग) सचिव, जनजातीय या समाज कल्याण विभाग - सदस्य;

(घ) सचिव, वन विभाग - सदस्य;

(ङ) सचिव, पंचायती राज - सदस्य;

(च) प्रधान मुख्य वन संरक्षक - सदस्य;

(छ) जनजातीय सलाहकार परिषद् के तीन अनुसूचित जनजातीय सदस्य जिन्हें जनजातीय सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा और जहाँ कोई जनजातीय सलाहकार परिषद् नहीं है वहाँ राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले तीन अनुसूचित जनजातीय सदस्य;

(ज) आयुक्त, जनजातीय कल्याण या समतुल्य जो सदस्य - सचिव होगा।

10. राज्य स्तर की निगरानी समिति के कृत्य - राज्य स्तर की निगरानी समिति-

(क) वन अधिकारों की मान्यता और उनके निहित होने के प्रक्रिया की निगरानी के लिए मानदण्ड और संकेतक तय करेगी;

(ख) राज्य में वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और उनके निहित होने की प्रक्रिया की निगरानी करेगी;

[2](ग) "तीन मास में कम से कम एक बार वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और निहित करने की प्रक्रिया को मानीटर करने के लिए बैठक करेगी, क्षेत्र स्तर समस्याओं पर विचार और उनका समाधान करेगी, और लंबित दावों की प्रास्थिति के संबंध में उपाबंध 5 से उपाबद्ध प्ररूप में उनके निर्धारण पर अधिनियम के अधीन अपेक्षित कदमों का अनुपालन करेगी, अनुमोदित दावों के ब्यौरे, खारिज करने के कारण, यदि कोई हों केन्द्रीय सरकार को त्रैमासिक रिपोर्ट देगी,"।

[3]"(च) विशिष्टतया धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ड) में अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन और धारा 4 की उपधारा (8) को भी मानीटर करेगी,"।

11. ग्राम सभा द्वारा दावे फाइल करने, उनका अवधारण और सत्यापन करने की प्रक्रिया - (1) ग्राम सभा -

(क) दावों के लिए माँग करेगी और इन नियमों के उपाबंध 1 में यथाउपबंधित प्ररूप में, दावे स्वीकार करने के लिए वनाधिकार समिति को प्राधिकृत कर सकेगी और ऐसे दावे, दावों की ऐसी माँग की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, नियम 13 में उल्लिखित कम से कम दो साक्ष्यों के साथ किए जाएंगे:

---

1. अधिसूचना क्र.स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार अंत:स्थापित।
2. अधिसूचना क्र.स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार अंत:स्थापित एवं प्रवृत्त।
3. अधिसूचना क्र.स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार अंत:स्थापित एवं प्रवृत्त।

परन्तु ग्राम सभा, यदि आवश्यक समझे, तीन मास की उस अवधि को उसके लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् विस्तारित कर सकेगी।

(ख) अपने सामुदायिक वन संसाधन के अवधारण की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए कोई तारीख नियम करेगी और जहाँ सारवान अतिव्यापति हो, वहाँ उससे लगी हुई समीपस्थ ग्राम सभाओं को और उप-खण्ड स्तर समिति को सूचित करेगी।

(2) वनाधिकार समिति, ग्राम सभा को उसके निम्नलिखित कृत्यों को करने में सहायता देगी -

(i) विनिर्दिष्ट प्ररूप में दावे और ऐसे दावों के समर्थन में साक्ष्य प्राप्त करना, उनकी अभिस्वीकृति देना और उन्हें रखना;

(ii) दावों और साक्ष्य का, मानचित्र सहित, अभिलेख तैयार करना;

(iii) वनाधिकारों के सम्बन्ध में दावेदारों की सूची तैयार करना;

(iv) इन नियमों में उपबन्धित किए गए अनुसार दावों का सत्यापन करना;

(v) दावे के स्वरूप और विस्तार के सम्बन्ध में अपने निष्कर्षों को ग्रम के समक्ष, उसके विचार के लिए प्रस्तुत करेगी।

(3) प्राप्त किए गए प्रत्येक दावे की वनाधिकार समिति द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति की जाएगी।

[1](4) वनाधिकार समिति, इन नियमों के उपाबन्ध 1 में "यथाउपबन्धित प्ररूप ख में सामुदायिक वनाधिकारों" प्ररूप ख में सामुदायिक वनाधिकारों और प्ररूप ग में धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन सामुदायिक वन संसाधन पर अधिकार" के लिए ग्राम सभा की ओर से दावे भी तैयार करेगी।

(5) ग्राम सभा, उप-नियम (2) के खण्ड (v) के अधीन निष्कर्षों की प्राप्ति पर, वनाधिकार समिति के निष्कर्षों पर विचार करने के लिए, पूर्व सूचना पर बैठक करेगी, समुचित संकल्प पारित करेगी और उसे उप-खंड स्तर समिति को भेजेगी।

(6) ग्राम पंचायत का सचिव, अपने कृत्यों के निवर्हन में ग्राम सभाओं के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।

12. वनाधिकार समिति द्वारा दावों का सत्यापन करने की प्रक्रिया - (1) वनाधिकार समिति, सम्बन्धित दावेदार और वन विभाग को सम्यक् सूचना देने के पश्चात् -

(क) स्थल का दौरा करेगी और स्थल पर दावे के स्वरूप और विस्तार तथा साक्ष्य का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करेगी;

(ख) दावेदार और साक्षियों से कोई अतिरिक्त साक्ष्य या अभिलेख प्राप्त करेगी;

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि चारागाही और यायावरी जनजातियों के उन दावों को, व्यष्टिक सदस्यों, समुदाय या परंपरागत सामुदायिक संस्था के माध्यम से प्राप्त हुए हों, उनके अधिकारों के अवधारण के लिए ऐसे समय पर सत्यापित किया जाता है, जब ऐसे व्यष्टि या समुदाय या उनके प्रतिनिधि उपस्थि हों;

(घ) यह सुनिश्चत करेगी कि प्राचीन जनजाति समूह या पूर्व कृषि समुदाय के सदस्य के दावे को, जो उनके सामुदाय या परंपरागत सामुदायिक संस्था के माध्यम से प्राप्त हुए हों, आवास के उनके अधिकारों के अवधारण के लिए उस समय सत्यापित किया जाता है, जब ऐसे सामुदाय या उसके प्रतिनिधि उपस्थित हों; और

---

1. अधिसूचना क्र.स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार प्रतिस्थापित।

(ङ) मान्यता दिए जाने योग्य सीमाचिन्हों को उपदर्शित करते हुए प्रत्येक दावे के क्षेत्र को अंकित करने वाला मानचित्र तैयार करेगी।

[1]"(च) सामुदायिक वन संसाधनों की परंपरागत सीमाओं को ग्राम सभा के अन्य सदस्यों के साथ जिसके अंतर्गत ऐसे बड़े भी हैं जो ऐसी सीमाओं और परंपरागत पहुँच के साथ भली प्रकार से परिचित हैं, चिन्हित किया जाएगा;

(छ) पहचाने जा सकने वाले भूमि चिन्हों के साथ और सारवान साक्ष्य के माध्यम से एक सामुदायिक वन संसाधन मानचित्र तैयार किया जाएगा जैसा कि नियम 13 के उपनियम (2) में उपदर्शित है और तत्पश्चात् ऐसे सामुदायिक न संसाधन दावे को ग्राम सभा के संकल्प जिसे साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकेगा, द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- सामुदायिक वन संसाधन के चिन्हांकन में विद्यमान विधिक सीमाओं जैसे कि आरक्षित वन, संरक्षित वन, राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्यों को शामिल किया जा सकेगा और ऐसा चिन्हांकन समुदाय की ऐसे सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुँच, संरक्षण और निरंतर उपयोग को औपचारिकता प्रदान करेगा और मान्यता देगा"।

(2) तत्पश्चात् वनाधिकार समिति दावे के सम्बन्ध में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगी और उन्हें ग्राम सभा को उसके विचार के लिए प्रस्तुत करेगी।

(3) यदि किसी दूसरे ग्राम की परंपरागत या रूढिगत सीमाओं के सम्बन्ध में विरोधी दावे हैं या यदि किसी वन क्षेत्र का उपयोग एक से अधिक ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है तो सम्बन्धित ग्राम सभाओं की वनाधिकार समितियाँ ऐसे दावों के उपभोग के स्वरूप का विचार करने के लिए संयुक्त रूप से बैठक करेगी और सम्बन्धित ग्राम सभाओं को लिखित में निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी:

परन्तु यदि ग्राम सभाएँ विरोधी दावों का समाधान करने में समर्थ नहीं हैं तो उसे ग्राम सभा द्वारा उपखंड समिति को उसका समाधान करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) सूचना, अभिलेखों या दस्तावेजों के लिए ग्राम सभा या वनाधिकार समिति के अनुरोध पर सम्बन्धित प्राधिकारी, यथास्थिति, ग्राम सभी या वनाधिकार समिति को उसकी अधिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएँगे और यदि अपेक्षित हो, किसी प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण सुकर कराएंगे।

[2]"12क. अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया - (1) वनाधिकार समिति से सूचना की प्राप्ति पन वन और राजस्व विभागों के पदधारी स्थल पर दावों के सत्यापन और साक्ष्यों के सत्यापन के दौरान उपस्थित रहेंगे और अपने पदनाम, तारीख और टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, के साथ कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करेंगे।

(2) यदि इन विभागों द्वारा पश्चात्वर्ती किसी तारीख केा ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित दावों पर इस कारण आक्षेप किए जाते हैं कि क्षेत्र सत्यापन के दौरान उनके प्रतिनिधि अनुपस्थित रहते हैं, तो पुन:सत्यापन के लिए दावे को उस समिति द्वारा जहाँ आक्षेप किए गए हैं, ग्राम सभा को भेज दिया जाएगा। यदि उक्त प्रतिनिधि फिर से सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेने में असफल रहते हैं, तो क्षेत्र सत्यापन पर ग्राम सभा का विनिश्चय अंतिम मान जाएगा।

---

1. अधिसूचना क्र.स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार अंत:स्थापित।

3. अधिसूचना क्र.स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार अंत:स्थापित एवं प्रवृत्त।

(3) ग्राम सभा द्वारा दावे को उपांतरण या उसे खारिज करने की दशा में या उपखंड स्तर समिति द्वारा अग्रेषित दावे को उपांतरण या उसे खारिज करने की दशा में दावे पर ऐसे विनिश्चय या सिफारिशों को व्यक्तिगत रूप से दावेदार को संसूचित किया जाएगा जिससे वह, यथास्थिति, उपखंड स्तर समिति या जिला स्तर समिति

को साठ दिन की अवधि जिसे तीस और दिन के लिए उक्त समितियों के विवेक पर विस्तारित किया जा सकेगा के भीतर याचिका करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

(4) यदि कोई अन्य राज्य अभिकरण ग्राम सभा या उपखंड स्तर समिति के विनिश्चय पर आक्षेप करे की वांछा रखता है, तो वह, यतास्थिति, उपखंड स्तर समिति या जिला स्तर समिति के समक्ष अपील फाइल करेगा जिसका विनिश्चय दावेदार को सुनने के पश्चात् (संबंधित अभिकरण के प्रतिनिधि, यदि कोई हों, की अनुपस्थिति में) समिति द्वारा किया जाएगा।

(5) किसी व्यथित व्यक्ति की याचिका को तब तक निपटाया नहीं जाएगा जब तक कि उसे अपने दावे के समर्थन में कुछ प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न प्रदान कर दिया गया हो।

(6) उपखंड स्तर समिति या जिला स्तर समिति, यदि आवश्यक समझे, तो ग्राम सभी के संकल्प या सिफारिश के अपूर्ण पाए जाने या प्रथम द्दष्टया अतिरिक्त परीक्षण की अपेक्षा होने की दशा में उसे उपांतरित या खारिज करने की बजाए पुनर्विचार करने के लिए ग्राम सभा को दावे को प्रतिप्रेषित करेगी।

(7) उन दशाओं में, जहाँ ग्राम सभा द्वारा किसी दावे की समर्थनकारी दस्तावेजों और साक्ष्य के साथ सिफारिश करने संबंधी पारित संकल्प को उप खंड स्तर की समिति को उपांतरणों और साक्ष्य के बिना मान्य ठहराया जाता है किन्तु उसे जिला स्तर समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो जिला स्तर समिति, यथास्थिति, ग्राम सभा या उपखंड स्तर समिति की सिफारिशों को स्वीकार न करने के ब्यौरेवार कारण लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करेगी और जिला स्तर समिति के आदेश की प्रति उसके कारणओं सहित, यथास्थिति, दावाकर्ता या ग्राम सभा या समुदाय को उपलब्ध कराई जाएगी।

(8) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन मान्यता प्राप्त स्वयं कृषि करने के लिए भूमि संबंधी अधिकारों को विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित आनुषांगिक क्रियाकलापों जैसे पशु रखने, पोछने और अन्य पश्च फसल कटाई क्रियाकलापों, चक्रानुक्रम परती भूमि, वृक्ष उपज और उत्पादन के भंडारण आदि के लिए प्रयुक्त वन भूमि भी है।

(9) इन नियमों के उपाबंध 2, 3 और 4 में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारों के स्थिरीकरण और हक जारी करने की प्रक्रिया पूरी होने पर, राजस्व और वन विभाग इस प्रकार निहित वन भूमि का अंतिम मानचित्र तैयार करेंगे और संबद्ध प्राधिकारी इस प्रकार निहित वनाधिकरों को, यथास्थिति, राजस्व और वन विभागों के अभिलेखों में सुसंगत राज्य विधियों के अधीन अभिलेख अद्यतन किए जाने की विर्निदिष्ट अवधि या तीन मास की अवधि इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के भीतर समाविष्ट करेंगे।

(10) उपखंड स्तर समिति और जिला स्तर समिति के सभी विनिश्चय, जिनमें ग्राम संकल्प या सिफारिश का उपांतरण या नामंजूर किया जाना अंतवर्लित है, में, यथास्थिति, ऐसे उपांतरण या नामंजूर करने के ब्यौरेवार कारण दिए जाएंगे:

परन्तु यह कि दावों की कोई सिफारिश या नामंजूर करना केवल तकनीकी या प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं होगा:

परन्तु यह और कि ब्लॉक या पंचायत या वन बीट या रेंज स्तर पर कोई समिति (सिवाय ग्राम सभा या वन अधिकार समिति) या किसी रैंक का व्यष्टिक अधिकारी वन अधिकारों पर किसी दावे को लेने या नामंजूर करने, उपांतरित करने या विनिश्चय करने के लिए सशक्त होगा।

(11) उपखंड स्तर समिति या जिला स्तर समिति दावे का विनिश्चय करने में नियम 13 में विनिर्दिष्ट साक्ष्य पर विचार करेगी और दावे पर विचार करने के लिए किसी विशिष्ट दस्तावेजी साक्ष्य पर बल नहीं देगी।

स्पष्टीकरण- (1) शासकीय कार्य के दौरान उद्भव जुर्माने की रसीदें, अधिक्रमणकर्ता सूची, मुख्य अपराध रिपोर्ट, वन व्यवस्थापन रिपोर्ट और वैसे ही दस्तावेज चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों अथवा उनका न होना किसी दावे को नामंजूर किए जाने का एकमात्र आधार नहीं होगा।

(2) उपग्रह चित्र और प्रौद्योगिकी के अन्य उपयोग साक्ष्य के अन्य रूपों के अनुपूरक हो सकेंगे और उन्हें उनका विकल्प नहीं माना जाएगा।

12 ख. सामुदायिक अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया.- (1) जिला स्तर समिति वनवासियों के बीच विशिष्टत: भेद्य जनजातीय समूह की अंतरीय भेद्यता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम की धारा 3(1) (ङ) में यथावर्णित सभी विशिष्टत: भेद्य जनजातीय समूह संबंधित पारंपरिक संस्थाओं के विशिष्टत: भेद्य जनजातीय समूह (पीटीजी) के परामर्श से आवास अधिकारी प्राप्त करते हैं उनकी ग्राम सभी की प्लवमान प्रकृति को मान्यता देकर आवश्यक हों, फाइल किए जाते हैं।

(2) जिला स्तर समिति संबंधित ग्राम सभाओं के समक्ष धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) में यथावर्णित चारागाहियों, क्षेत्रान्तरण और घुमंतु समुदायों जैसे कि द्वारा दावों को फाइल किए जाने को सुकर बनाएगी।

(3) जिला स्तर समिति यह सुनिश्चित करेगी कि धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन किसी सामुदायिक वन संसाधन के संरक्षण, पुनर्जनन या परीक्षण या प्रबंधन से संबंधित वन अधिकारों जिनके प्रति वन निवासी पारंपरिक रूप से निरंतर उपयोग के लिए संरक्षण और परीक्षण को सभी ग्रामों में वनवासियों के पास मान्यता दी गई है और हकदारी जारी की गई है।

(4) किसी ग्राम में वन संपदा अधिकारों को मान्यता न दिये जाने की दशा में उसके कारणों को जिला स्तर समिति के सचिव द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

(5) वन ग्रामों, धारा 3 के खंड (ज) के अधीन गैरअभिलिखित स्थितिकरण में ग्राम के वास्तविक भूमि उपयोग को उसकी संपूर्णता में शामिल किया जाएगा जिसके अंतर्गत विद्यालयों, स्वास्थ्य परिसुविधाओं और सार्वजनिक स्थान आदि जैसे भावी सामुदायिक उपयोग के लिए अपेक्षित विद्यमान भूमि भी है।

13. वनाधिकारों के अवधारण के लिए साक्ष्य - वनाधिकारों को मान्यता देने और निहित करने के लिए साक्ष्य में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होगा -

(क) गजेटियर, जनगणना, सर्वेक्षण और बन्दोबस्त रिपोर्टें, मानचित्र, उपग्रहीय चित्र, कार्य योजनाएँ, प्रबन्ध योजनाएँ, लघु योजनाएँ, वन जाँच रिपोर्टें, अन्य वन अभिलेख, अधिकारों के अभिलेख, पट्टा या ली़ज, चाहे कोई भी नाम हो, सरकार द्वारा गठित समितियों और आयोगों की रिपोर्टों, सरकारी आदेश, अधिसूचनाएँ, परिपत्र, संकल्प जैसे लोक दस्तावेज, सरकारी अभिलेख;

(ख) मतदाता पहचानपत्र, राशनकार्ड, पासपोर्ट, गृहकर रसीदें, मूल निवास प्रमाणपत्र जैसे सरकारी प्राधिकृत दस्तावेज;

(ग) गृह, झोपड़ी और भूमि में किए गए स्थायी सुधारों जैसे वास्तविक कार्य, जिसके अन्तर्गत समतल करना, बंध, चैकबाँध बनाना और इसी प्रकार के कार्य हैं;

(घ) अर्द्धन्यायिक और न्यायिक अभिलेख, जिसके अन्तर्गत न्यायालय आदेश और निर्णय भी हैं;

(ङ) उन रूढियों और परम्पराओं का अनुसंधान, अध्ययन, दस्तावेजीकरण, जो किन्हीं वनाधिकारों के उपभोग को स्पष्ट करते हैं और जिनमें भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जैसी ख्यातिप्राप्त संस्थाओं द्वारा रूढिजन्य विधि का बल है;

(च) तत्कालीन रजवाड़ों या प्रान्तों या ऐसे अन्य मध्यवर्तियों से प्राप्त कोई अभिलेख, जिसके अन्तर्गत मानचित्र, अधिकारों का अभिलेख, विशेषाधिकार, रियायतें, समर्थन भी है;

(छ) कुएँ, कब्रिस्तान, पवित्र स्थल जैसी पुरातनता को स्थापित करने वाली परंपरागत संरचनाएँ;

(ज) पूर्व भूमि अभिलेखों में उल्लिखित या पुराने समय में गाँव के वैध निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त व्यष्टियों के पुरखों का पता लगाने वाली वंशावली;

(झ) लेखबद्ध किए गए, दावेदार से भिन्न बुजुर्गों का कथन।

(2) सामुदायिक [1]"संसाधन" के साक्ष्य में, अन्य बातों के साथ, निमनलिखित होंगे-

(क) निस्तार जैसे सामुदायिक अधिकार, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों;

(ख) परंपरागत चारागाह, जड़ें और कंद, चारा, वन्य खाद् फल और अन्य लघु वन उत्पादन जमा करने के क्षेत्र; मछली पकड़ने के स्थान, सिंचाई प्रणालियाँ; मानव या पशु धन के उपयोग के लिए जल स्रोत, औषधिय पौधों का संग्रह, जड़ी-बूटी औषधी व्यवसायियों के क्षेत्र;

(ग) स्थानीय समुदाय द्वारा बनाई गई संरचनाओं के अवशेष पवित्र वृक्ष, गुफाएँ और तालाब या नदी क्षेत्र, कब्रिस्तान या शमशानगृह।

[2](घ) चालू आरक्षित वन के सरंक्षिज्ञत वन या गोचर या गांव की अन्य आम भूमि के वर्गीकरण के पूर्ववर्ती सरकारी अभिलेख या निस्तारी वन;

(ङ) पारंपरिक कृषि की पूर्ववर्ती या चालू पद्धति।"

(3) ग्राम सभा, उप-खण्ड स्तर समिति और जिला समिति, वनाधिकारों का अवधारण करने में ऊपर उल्लिखित एक से अधिक साक्ष्यों पर विचार करेंगी।

14. उप-खंड स्तर की समिति को याचिकाएँ -

(1) ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित कोई व्यक्ति, संकल्प की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, उप-खंड स्तर समिति को याचिका फाइल कर सकेगी।

(2) उप-खण्ड स्तर समिति, सुनवाई की तारीख नियत करेगी और याची और सम्बन्धित ग्राम सभा को उसकी लिखित में सूचना देने के साथ ही, सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व याची के ग्राम में किसी सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर, सूचना लगाकर भी सूचित करेगी।

(3) उप-खण्ड स्तर समिति या तो याचिका को मंजूर या नामंजूर करेगी या उसे सम्बन्धित ग्राम सभा को उसके विचार के लिए निर्दिष्ट करेगी।

(4) ऐसे निर्देश की प्राप्ति के पश्चात्, ग्राम सभा तीस दिन की अवधि के भीतर बैठक करेगी, याची को सुनेगी, उस निर्देश पर कोई सकल्प पारिक करेगी और उसे उप-खण्ड स्तर समिति को भेजेगी।

(5) उप-खण्ड स्तर समिति ग्राम सभा के संकल्प पर विचार करेगी और याचिका को या तो स्वीकार या अस्वीकार करके समुचित आदेश पारित करेगी।

(6) लंबित याचिकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप-खंड स्तर समिति, अन्य दावेदारों के वनाधिकारों के अभिलेखों की परीक्षा करेगी और उन्हें एकत्रित करेगी तथा सम्बन्धित उप-खण्ड अधिकारी के माध्यम से उन्हें जिला स्तर समिति को प्रस्तुत करेगी।

---

1. अधिसूचना क्र.स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार अंत:स्थापित एवं प्रवृत्त।

3. अधिसूचना क्र.स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार अंत:स्थापित एवं प्रवृत्त।

(7) दो या अधिक ग्राम सभाओं के बीच विवाद की दशा में और किसी ग्राम सभा द्वारा किए गए किसी आवेदन पर या उपखण्ड स्तर समिति द्वारा स्व:प्रेरणा से विवाद का समाधान करने की दृष्टि से संबंधित ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाएगी और यदि तीस दिन की अवधि के भीतर किसी परस्परूप से सहमत किया गया कोई समाधान नहीं हो सकता है तो उपखण्ड स्तर समिति सम्बन्धित ग्राम सभाओं की सुनवाई करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगी और समुचित आदेश पारित करेगी।

15. जिला स्तर समिति को याचिकाएँ -

(1) उपखण्ड स्तर समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उपखण्ड स्तर समिति के विनिश्चय की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, जिला स्तर समिति को याचिका फाइल कर सकेगा।

(2) जिला स्तर समिति, सुनवाई की तारीख नियत करेगी और याची तथा सम्बन्धित उपखण्ड स्तर समिति को उसकी लिखित में सूचना देने के साथ ही सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व याची के ग्राम में किसी सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर, सूचना लगाकर भी सूचित करेगी।

(3) जिला स्तर समिति या तो याचिका को मंजूर या नामंजूर करेगी या उसे सम्बन्धित उपखण्ड स्तर समिति को उसके विचार के लिए निर्दिष्ट करेगी।

(4) ऐसे निर्देश की प्राप्ति के पश्चात् उपखण्ड स्तर समिति 30 दिन की अवधि के भीतर बैठक आहुत करेगी याची और ग्राम सभा को सुनेगी, उस निर्देश का विनिश्चय करेगी और उसकी सूचना जिला स्तर समिति को देगी।

(5) तत्पश्चात् जिला स्तर समिति याचिका पर विचार करेगी और याचिका को स्वीकार करेगी या अस्वीकार कर समुचित आदेश पारित करेगी।

(6) जिला स्तर समिति दावेदार या दावेदारों को वन अधिकारों के अभिलेखों को, सरकार के अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करने के लिए जिला कलेक्टर या आयुक्त केा भेजेगी।

(7) दो या अधिक उपखण्ड स्तर समितियों के बीच आदेशों में किसी फर्क की दशा में जिलास्तर समिति स्वप्रेरणा से, मतभेदों को समाधान करने की दृष्टि से सम्बन्धित उपखण्ड स्तर समितियों की संयुक्त बैठक बुलावेगी और यदि किसी परस्पर रूप से सहमत किया गया कोई समाधान नहीं हो सकता है तो जिला स्तर समिति सम्बन्धित उपखण्ड स्तर समितियों की सुनवाई करने के पश्चात् विवाद को अधिनिर्णित करेगी और समुचित आदेश पारित करेगी।

[1]16. वन अधिकार धारणों को दावा पश्चात् सहायता और सहयोग.- राज्य सरकार अपने विभागों विशेषकर जनजाति और समाज कल्याण, पर्यावरण और वन, राजस्व ग्रामीण विकास, पंचायती राज और अन्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन वासियों के उत्थान से सुसंगत अन्य विभागों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सरकारी स्कीमों जिनके अंतर्गत भूमि सुधार भूमि उत्पादकता मूल सुविधाओं और जीवनयापन उपायों से संबंधित स्कीमों को ऐसे दावाकर्ताओं को और समुदायों जिनके अधिकारों को इस अधिनियम के अधीन मान्यता दी गई है और विहित किया गया है के लिए उपबंध किया जा सके।"

---

1. अधिसूचना क्र.स.का.नि. 669 (अ) दिनांकित 6.9.2012 अनुसार अंत:स्थापित।

उपाबंध - I [नियम 6(झ) देखें]

प्रारूप-क. वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

[नियम 11(1) देखें]

1. दावेदार (रो) का/के नाम
2. पति/ पत्नी का नाम
3. पिता/माता का नाम
4. पता
5. ग्राम
6. ग्राम पंचायत
7. तहसील/तालुका
8. जिला
9. (क) अनुसूचित जनजाति : हाँ/नहीं

   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

   (ख) अन्य परम्परागत वन निवासी : हाँ/नहीं

   (क्या पति/पत्नी अनुसूचित जनजाति से है (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. परिवार के अन्य सदस्यों का नाम और आयु :

    (बच्चों व वयस्क आश्रितों सहित)

भूमि पर दावे का स्वरूप :

1. अधिभोग की गई भूमि का उपयोग

   (क) निवास के लिए

   (ख) स्वयं खेती के लिए, यदि कोई हो :

   (अधिनियम की धारा 3(1) (क) देखें)
2. विवादित भूमि, यदि कोई हो :

   (अधिनियम की धारा 3(1) (च) देखें)
3. पट्टे/धृतियों/अनुदान, यदि कोई हो :

(अधिनियम की धारा 3(1) (छ) देखें)

4. यथावन पुनर्वास हेतु भूमि या आनुकल्पिक भूमि, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1) (ड) देखें)

5. भूमि जहाँ से बिना मुआवज़ा दिए, विस्थापित किए गए हैं :
(अधिनियम की धारा 4(8) देखें)

6. वन ग्रामों में भूमि का विस्तार; यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1) (ज) देखें)

7. अन्य कोई पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1) (झ) देखें)

8. समर्थन से साक्ष्य: (नियम 31 (1) झ देखें)

9. अन्य कोई सूचना :

दावेदार/दावेदारों के हस्ताक्षरों/
अंगूठे के निशान

प्रारूप - ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा

[नियम 11(1) देखें]

1. दावेदार (रों) का नाम :
   क. एफडीएसटी समुदाय : हाँ/नहीं
   ख. ओटीएफडी समुदाय : हाँ/नहीं
2. ग्राम :
3. ग्राम पंचायत :
4. तहसील/तालुका :
5. जिला :

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप -

1. सामुदायिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1) (ख) देखें)
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार
   क. उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय), यदि कोई हो :
   ख. चरने हेतु, यदि कोई हो :
   ग. पारंपरिक संसाधनों तक बंजारों और पशुपालकों की पहुँच यदि कोई हो,
   (अधिनियम की धारा 3(1) (छ) देखें)
4. पीटीजी व आरम्भिक कृषि समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्वावास की सामुदायिक अवधियाँ, यदि कोई हो :
5. जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1) (ट) देखें)
6. अन्य पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो :

(अधिनियम की धारा 3(1) (झ) देखें)

7. समर्थन का साक्ष्य :

(नियम 31 देखें)

8. अन्य कोई सूचना :

दावेदार (रों) का हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

[1]प्रारूप - ग

सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

[अधिनियम की धारा 3(1) (झ) और नियम 11(1) और (4क) देखिए]

1. ग्राम/ग्राम सभा :

2. ग्राम पंचायत :

3. तहसील/तालुक :

4. जिला :

5. ग्राम सभा के सदस्यों के नाम (प्रत्येक सदस्य के सामने उपदर्शित अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी प्रास्थिति सहित अलग एक प्रपत्र के रूप में संलग्न करें)
दावा करने के लिए जनजातियों/अन्य परंपरागत वन निवासियों का होना पर्याप्त है।

हम, इस ग्राम सभा के अद्योहस्ताक्षरित निवासी इसके द्वारा यह संकल्प करते हैं कि नीचे और संलग्न मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्र, जिसमें हमारा ऐसा सामुदायिक वन संसाधन सम्मिलित है, जिस पर हम धारा 3(1) (झ) के अधीन अपने अधिकारों की मान्यता का दावा कर रहे हैं।

---

1. अधिसूचना क्र. स.का नि. 669 (अ) दिनांकित 6वीं सितम्बर 2012 अनुसार अंत:स्थापित एवं प्रवृत्त।

(अवस्थित ग्राम की पारंपरिक या रूढिजन्य सीमाओं के भीतर भूमि चिन्ह या चारागाही समुदायों की दशा में उस स्थलाकृति का मौसमी उपयोग, जिसके लिए समुदाय पारंपरिक पहुँच रखता था और जिन्हें वे संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित, पुनरुज्जीवित, परिरक्षित और प्रबंधित करते रहे हैं, को दर्शाते हुए सामुदायिक वन संसाधन का मानचित्र संलग्न करें। कृपया ध्यान दें कि इसके शासकीय सीमाओं के अनुरूप होने के आवश्यकता नहीं है)

6. खसरा/कंपार्टमेंट संख्या (संख्याएँ) यदि काई हों और यदि ज्ञात हों :

7. सीमा से लगते हुए ग्राम :

(i)

(ii)

(iii)

(इसमें किन्हीं अन्य ग्रामों के साथ संसाधनों और उत्तरदायित्वों का हिस्सा बटाने के संबंध में जानकारी भी सम्मिलित की जा सकेगी)

8. समर्थन में साक्ष्य की सूची (कृपया नियम 13 देखिए)

दावेदार (दावेदारों) का/के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान :

उपाबंध - 2

[नियम 8(3) (ख) देखें]

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक [नियम 18 देखें]

1. वन अधिकारों के धारण (कों) का/के नाम (पति-पत्नी सहित) :

2. पिता/माता का नाम :

3. आश्रितों का नाम :

4. पता :

5. ग्राम/ग्राम सभा :

6. ग्राम पंचायत :

7. तहसील/तालुका :

8. जिला :

9. अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी :

10. क्षेत्रफल

11. खसरा/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख निशानों द्वारा सीमाओं का विवरण :

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 (4) के अन्य संक्राम्य या अंतरणीय नहीं है -

हम, अधोहस्ताक्षरी ..... (राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक — जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी
जिला कलेक्टर/उप आयुक्त

उपाबंध - 3 सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक

[नियम 12 देखें]

1. सामुदायिक वन अधिकार के धारण (कों) का/के नाम :
(उपाबन्ध के अनुसार)

2. ग्राम/ग्राम सभा :

3. ग्राम पंचायत :

4. तहसील/तालुका :

5. जिला :

6. अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी :

7. सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप

8. शर्ते यदि कोई हो

9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं का विवरण
रूढिजन्य सीमा और/या खसरा/कंपार्टमेंट सं.
सहित प्रमुख पहचान चिन्ह
सामुदायिक वन अधिकार का/के धारण (कों) नाम .....
(1) ..... (2) .....

हम, अधोहस्ताक्षरी ..... (राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसकी ओर से सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त लिखित धारकों के हक में उपलिखित वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक — जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी
जिला कलेक्टर/उप आयुक्त

[1]''उपाबंध - 4

सामुदायिक वन संसाधनों के लिए हक

[नियम 8 (i) देखिए]

1. ग्राम/ग्राम सभा :

2. ग्राम पंचायत :

3. तहसील/तालुका :

4. जिला :

5. अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी : अनुसूचित जनजाति समुदाय/अन्य परंपरागत वन निवासी समुदाय/दोनों :

6. सीमाओं का वर्णन, जिसके अन्तर्गत प्रमुख सीमा चिन्ह तक और खसरा/कंपार्टमेंट सं. तक रूढिजन्य सीमा भी है :

उक्त क्षेत्र के भीतर इस समुदाय को सामुदायिक वन संसाधनों की संरक्षा, पुनरुज्जीवित करे या परिरक्षित करने या प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त है और यह (नामोदिष्ट करें) समुदाय वन संसाधन, जिसका वे इस अधिनियम की धारा 3(1) (झ) के अनुसार संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षण और परिरक्षण करते रहे हैं

---

1. अधिसूचना क्रमांक स.का.नि. 669 (अ) दिनांकित 6वीं सितम्बर 2012 अनुसार अंत:स्थापित।

हम, अधोहस्ताक्षरी, इसके द्वारा, सरकार के लिए और उसकी ओर से ऊपर उल्लिखित ग्राम सभा (ग्राम सभाओं/समुदाय (समुदायों) के लिए हक में यथावर्णित सामुदायिक वन संसाधन (सीमा, मात्रा, क्षेत्र, जो भी लागू हो, में नामोदिष्ट और विनिर्दिष्ट किया जाए) की पुष्टि करने के लिए अपने-अपने हस्ताक्षर करते हैं।

(प्रभागीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक) (जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी)

(जिला कलेक्टर/उपायुक्त)

उपाबंध - 5

त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

[नियम 19(ग) देखें]

1. राज्य का नाम

2. दावों की प्रस्थिति

(क) व्यष्टिक अधिकार

- फाइल किए गए
- स्वीकृत किए गए
- अस्वीकृत किए गए
- लंबित
- उदाहरणाओं सहित अस्वीकृत करने के कारण
- सुझाए गए सुधारात्मक उपाय
- कोई अन्य प्रेक्षण
- सम्मिलित वन भूमि का विस्तार (है.में)
- इस अधिनियम की धारा 3(1) (क) के अधीन वन

और राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने की प्रस्थिति (है.में)

(ख) सामुदायिक वन अधिकारी

- फाइल किए गए

मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्यप्रदेश) आदेश 2003 के अनुसार म.प्र. के निम्न क्षेत्र अनुसूचित किये जाते हैं -

[नियम 8 (i) देखिए]

1. झाबुआ जिला 2. मण्डला जिला 3. डिंडोरी जिला 4. बड़वानी जिला

5. धार जिले में सरदारपुर, कुक्षी, धरमपुरी गंधवानी, मनावर तहसील
6. खरगोन (पश्चिमी निमाड़) जिले में भगवान पुरा, सेगांव भीकन गांव, झिरनिया, खरगोन और महेश्वर तहसील।
7. खण्डवा (पूर्वी निमाड़) जिले में हरसूद तहसील का खलवा जनजाति विकास खण्ड और खांकर तहसील का खांखर जन जाति विकासखण्ड।
8. रतलाम जिले में सैलाना और बाजना तहसील
9. बैतूल जिले में (बैतूल विकासखण्ड छोड़कर) भेसदेही तथा शाहपुर तहसील।
10. सिवनी जिले में लखनादोन, धनसोर, खुरई तहसील।
11. बालाघाट जिले में बैहर तहसील।
12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील का केसला जनजाति विकासखण्ड।
13. शहडोल जिले का पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैधारी, कोतमा, जेतपुर, सोहागपुर और जयसिंह नगर तहसील।
14. उमरिया जिले में पाली तहसील में पालीजन जाति विकासखण्ड।
15. सीधी जिले में कुसमी तहसील में कुसमी जनजाति विकासखण्ड।
16. श्योपुर जिले में करहाल तहसील में करहाल जनजाति विकासखण्ड।
17. तारमिया और जामई तहसील पटवारी सरल क्र. 10 से 12 तथा 16 से 10 तक। पटवारी सरकल 9 में सिरीगांव खुर्द किरवारी गांव, परासिया तहसील में प.सा. खण्ड 13 के मैना वारी, गोला परासिया गांव, छिन्दवाड़ा तहसील में प.स. 25 का बमहानी गांव। हर्रई जनजाति विकासखण्ड और अमर वाड़ा तहसील से पटवारी सर्कल 28 से 36, 41, 43, 44, 45 बी तक।

    बिछुआ तहसील और सोसर तहसील में पटवारी सर्कल नं. 5, 8, 9, 10, 11 और 14, पटवारी सर्कल नं. 1 से 11 और 13 से 26 और पटवारी सर्कल नं. 12 (भूली गाँव छोड़कर) पटवारी सर्कल 27 का नन्दपुर, पाडुर्णा तहसील के पटवारी सर्कल 28 के नीलकंठ और धवादि खापा गाँव।